"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 61/2017

उनवान

भगवान पिता श्री भोगजी जाति पाटीदार निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) कुबेर पिता धुलजी जाति पाटीदार निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) ताजेंग पिता धुलजी जाति पाटीदार निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 R-T- Act-

निर्णय

दिनांकः 14.5.2022

प्रकरण का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 755 नया 664 पुराना का आराजी सर्वे नम्बर 6038 रकबा 0.15 हैक्टर व 6053 रकबा 0.23 हेक्टर भुमि वाके गांव पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) मे स्थित होकर वादी इसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। वादी की उपरोक्त भुमि पर प्रतिवादीगण का कोई हक एवं अधिकार नही है से इसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी की उक्त भुमि पर जबरन अवैद्य कब्जा कर अतिक्रमण करने व निर्माण करवाने व वादी की जमीन हडप कर वादी को उसकी जमीन से बेदखल कर उसे उसकी जमीन के उपयोग एवं उपभोग से वंचित करने आमादा है। जिन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाने धारा 188 में वाद प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण का वादी की उक्त वर्णित भुमि पर कोई हक व अधिकार नही है परन्तु फर्जी दस्तावेज बनाकर और बाहुबल के आधार पर वादी की भुमि पर गैरकानुनी रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर रहे है जिसे अवैद्य घोषित कर उन्हे बेदखल किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण को वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भुमि से बेदखल करने हस्ब धारा 183 रा.का.अ. के तहत वाद पेश है। दौराने वाद विचारण प्रतिवादीगण निर्माण कर लेवे तो उसे जरिये आज्ञापक आदेश हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण को वादी की उक्त वर्णित भुमि से बेदखल नही किया जाता है तो उन्हे व अतिक्रमण करने से नही रोका जाता है तो मामले में वाद बाहुल्यताएं बढने की संभावना होकर वादी प्राकृतिक न्याय से वंचित होकर अपनी संपत्ति के उपयोग एवं उपभोग के संवैधानिक अधिकारो से वंचित हो जायेंगा व वादी को ऐसी क्षति होगी जिसका रूपयो में मूल्यांकन संभव नही होगा।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी इस आशय की डिक्री सादीर फरमावे कीः—

1. यह कि वादी के स्वामित्व और आधिपत्य की भुमि खाता संख्या 755 नया 664 पुराना का आराजी सर्वे नम्बर 6038 रकबा 0.38 हेक्टर एवं 6053 रकबा 0.23 हेक्टर भुमि वाके गांव पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा की भुमि पर प्रतिवादी द्वारा किये गये अतिक्रमण और निर्माण को तुडवाकर प्रतिवादी को बेदखल कर रिक्त कब्जा वादी को सुपर्द किया जावे।
2. यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई [illegible] की जावे की आराजी सर्वे नम्बर 6053 रकबा 0.23 हेक्टर में चल[illegible] स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने एवं वादी की उपरोक्त भुमि के शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे [illegible] हेतु धारा 183, 188, 209 [illegible] काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:26:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से श्री पवन लुहार अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत होकर निम्नानुसार तनकियात कायम की गईः–

(1) आया वादी के स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि गांव पालोदा पटवार हल्का पालोदा की खाता संख्या 755 (नई) 664 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 6038 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 6053 रकबा 0.23 हे0 भूमि दर्ज रेकार्ड होकर वादी इसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है।

–: वादी

(2) आया वादी की उक्त खातेदारी भूमि में से सर्वे नम्बर 6053 रकबा 0.23 हे0 भूमि पर प्रतिवादीगण अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने व निर्माण करवाने व वादी की जमीन को हड़पने आमादा है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाने एंव वादी की खातेदारी भूमि पर गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर रहे है जिसे अवैध घोषित कर उन्हे बेदखल किया जाना आवश्यक है।

–: वादी

(3) आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के 40 वर्षो से कब्जा होकर उक्त भूमि में मकान बना कर रह रहे है। जिस वजह से 12 वर्षो से अधिक समय हो जाने से वाद चलने योग्य नही है। तथा वादी किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने एंव भूमि से बेदखल कराने का अधिकारी नही है।

–: प्रतिवादीगण

(4) अनुतोषः–

पत्रावली वादी की साक्ष्य के रूप में नियत की जाने पर भगवान पिता भोगजी की साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश होकर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की गई। तत्पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत होकर प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही होकर प्रतिवादी अभिभिषक के निवेदन पर प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत वाद एंव संलग्न राजस्व अभिलेख, वादी की साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ–पत्र की जिरह में कहें गये कथन की "वादग्रस्त भूमि की निशानदेही कभी भी तहसीलदार ने नही की तथा हल्का पटवारी ने बताया कि यह जमीन तुम्हारे नाम से बोल रही है तब मैने वाद प्रस्तुत किया है" आदि का संक्षिप्त अवलोकन एंव मनन् करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया धा 183 का प्रतीत नही होता है। धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की खाता संख्या 755 (नई) 664 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 6053 रकबा 0.23 हे0 भूमि में वादी के शान्तिपूर्ण काश्त में न तो व्यवधान उत्पन्न करें एंव नही किसी अन्य से ऐसा कोई कार्य करावें जिससें की वादी को शान्तिपूर्वक काश्त में बाधा उत्पन्न होवें।

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया धा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रतीत नही होता है। धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की खाता संख्या 755 (नई) 664 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 6053 रकबा 0.23 हे0 भूमि में वादी के शान्तिपूर्ण काश्त में न तो व्यवधान उत्पन्न करें एंव नही किसी अन्य से ऐसा कोई कृत्य करावें जिससें की वादी को शान्तिपूर्वक काश्त में बाधा उत्पन्न होवें। [illegible] य की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.5.2022 को जारी [illegible] गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:26:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 61 / 2017

उनवान

भगवान पिता श्री भोगजी जाति पाटीदार निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) कुबेर पिता धुलजी जाति पाटीदार निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

(2) ताजेंग पिता धुलजी जाति पाटीदार निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 R-T- Act-

निर्णय

दिनांक: 14.5.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया धा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रतीत नही होता है। धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की खाता संख्या 755 (नई) 664 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 6053 रकबा 0.23 हे0 भूमि में वादी के शान्तिपूर्ण काश्त में न तो व्यवधान उत्पन्न करें एंव नही किसी अन्य से ऐसा कोई कृत्य करावें जिससें की वादी को शान्तिपूर्वक काश्त में बाधा उत्पन्न होवें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्बा मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 14.5.2022 को जारी की गई।

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:26:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner